राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

30 JAN 2013

क्रमांकः–प.3(220)नविवि/III/2012 जयपुर, दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भूखण्डों के सम्बन्ध में पृथक–पृथक दरों से लीज की राशि की गणना की जा रही है। यह भी ध्यान में लाया गया है कि राजस्थान आवासन मण्डल व नगर निकायों/न्यासों द्वारा अलग–अलग दरों से लीज राशि वसूल की जा रही है। अतः लीज राशि की गणना में एकरूपता लाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अन्य नगर निकायों की भाति आवासीय एवं संस्थानिक आवंटनों में 2.5 प्रतिशत की दर से तथा वाणिज्यिक आवंटनों में 5 प्रतिशत की दर से आवंटन दर पर लीज राशि की गणना की जाएगी। आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम